

ऑपरेशनल ऑफिस कंप्लेक्स,
चिरंजीबपुर, हल्दिया-721604,
जिला-पूर्व मेदिनीपुर.

Operational Office Complex,
Chiranjibpur, Haldia-721604,
Dist. Purba Medinipur.

भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत।

क्रमांक: टी. ओ. (एस एच एवं सी एच)/10/1263

दिनांक : 12.07.2023

व्यापार परिपत्र

परिपत्र संख्या: जीएमटी/45/1169 दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से, इस मामले में, बंदरगाह परिसर में प्रवेश करने वाले सभी संबंधित लोगों के ध्यान में यह लाया गया है कि एचडीसी प्रबंधन द्वारा यह आवश्यक महसूस किया गया है कि बंदरगाह कर्मचारियों के साथ-साथ कार्गो परिचालन कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत विभिन्न एजेंसियों/ठेकेदारों/विक्रेताओं आदि के कर्मचारियों के लिए डॉक सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करना शून्य सहनशीलता होगी।

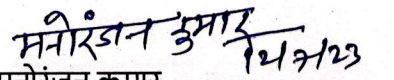
गोदी के अंदर किसी भी परिचालन कार्य के लिए, कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, गोदी के अंदर भारी उपकरणों, गियर और वाहनों से जुड़ी संचालन गतिविधियों में वृद्धि के साथ, गोदी के अंदर काम करते समय कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, सभी पोर्ट उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है:

1. गोदी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना आवश्यक है जहां भारी वाहनों को काम नहीं सौंपा गया है।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्लॉट की सतह जलभराव से मुक्त हो।
3. कर्मियों को अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल पर ही रहना चाहिए और कार्यस्थल के अलावा दूसरे जगह पर कहीं और उपस्थित नहीं होना चाहिए।
4. आपके द्वारा नियुक्त सभी गोदी कर्मियों के लिए नियमित रूप से अनिवार्य बुनियादी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।
5. सभी गोदी श्रमिकों को आराम करने के लिए निर्दिष्ट विश्राम कक्ष का उपयोग करना चाहिए। गोदी के अंदर ज़मीन पर या कार्गो पर लेटकर आराम करना सख्त मना है।
6. गोदी कर्मियों को गोदी के अंदर हर समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनना आवश्यक है।

मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और हमारे सभी पोर्ट उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

सभी संबंधितों से तदनुसार मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया जाता है।


मनोरंजन कुमार

सहायक प्रबंधक (शिपिंग एवं कार्गो हैंडलिंग)

वितरण:

- अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ शिपिंग इंटरस्ट इन कलकत्ता (एसआईसी), 6, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता -700001 (फैक्स 033-40128989) कृपया जानकारी के लिए।
- अध्यक्ष, कलकत्ता कस्टम्स हाउस एजेंट्स एसोसिएशन (सीसीएचए), 23, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001 (फैक्स: 033-22159387) कृपया जानकारी के लिए
- सभी पोर्ट उपयोगकर्ता: सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

- प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (यातायात) कृपया जानकारी के लिए।
- प्रतिलिपि: वरिष्ठ उप प्रबंधक (शि० एवं कार्गो हैं०) कृपया जानकारी के लिए।
- प्रतिलिपि: वरिष्ठ उप प्रबंधक (पी एंड आईआर) कृपया जानकारी के लिए।